संविधान के सपने
भारत का संविधान

संविधान के सपने

दिव्या पिछले पांच वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर चुकी थी. जिस समस्या को वह समझती और सुलझाने की कोशिश करती, उसे आभास होता कि क़ानून की जानकारी बहुत जरूरी है. अब वह शहर के कॉलेज में क़ानून पढ़ने आई थी. उसका एक विषय था- " नारी और क़ानून "
एक दिन एक गोष्ठी में...

क़ानून के सहारे न्याय मिल सकता है...
गरीब के जीते जी, या मरने के बाद ?

क़ानून के सहारे सामाजिक और आर्थिक संबंधों में न्याय की भावना लाई जाती है...
जी, हां! गरीब को घर से बेदखल कर काम छीन कर...

संविधान इन सब सपनों को क़ानून के माध्यम से दिशा देता है.
सर, संविधान बनाने वालों ने तो सपने देखे, पर गरीबों ने तो सपने भी देखने छोड़ दिये.

सम्मानपूर्वक जीने का हक तो संविधान का एक सपना है.
लेकिन सपना सच तो नहीं हो पाया?

संविधान और क़ानून के उपयोग के लिये ज्ञान और संगठन की शक्ति चाहिए.
कई काले कोट वाले तो कहते हैं पैसा सब कुछ करवा सकता है.

दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसा समझते हैं.

सर, क़ानून आम आदमी और औरत की भाषा भी नहीं बोलता, व्यवहार कैसे समझेगा?

दिव्या जैसी कार्यकर्त्ता आम आदमी के लिए क़ानून की भाषा सरल बना सकती है.

भाषा की बात तो एक उदाहरण है. क़ानून की विधियां भी बहुत पेचीदा हैं.

सरकारी और गैर सरकारी संगठन क़ानूनी सहायता देने लगे हैं.
बड़े शहरों तक ही सीमित है, यह सब.

लोक अदालतें न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाने में लगी हैं.
अखबार बताते हैं कि लोक अदालतें तो वकीलों के लिए अधिक लाभकारी है?

ऐसे हालात समाजसेवी वकीलों और छात्रों द्वारा सुधारे जा सकते हैं।
लोक अदालत एक नई संस्था है. समय के साथ सुधार भी होगा.

न्याय की विधियों को सरल तो बनाना ही पड़ेगा.
संविधान और क़ानून की शक्ति का उपयोग तो क़ानून की जानकारी के आधार पर ही किया जा सकता है.

यदि धनिक वर्ग जानकारी के साधन अधिक पायेगा, तो उपयोग भी करेगा.
निर्धन और निर्बल का असंतोष शहरों की नींद खराब कर देगा, तब तो!

क़ानून के बारे में जानकारी भी एक शक्ति है. निर्बल संगठित रूप से सबल बन सकते हैं.
सर, औरतों के हालात देखिये. सबसे बड़ा अन्याय तो उनके साथ ही हो रहा है.

किसी एक वर्ग के साथ अन्याय की स्थिति में " जन हित मुकदमा " दायर किया जा सकता है.

उसे भी वकील और जज ही करेंगे और सुनेंगे ?

नहीं, नहीं. कोई भी नागरिक तथ्यों के आधार पर कोर्ट जा सकता है.

सामाजिक न्याय तो जन हित के लिये संघर्ष करने पर ही मिलेगा. आज की गोष्ठी यहीं समाप्त होती है.

द्रिव्या चाय के ढ़ाबे पर तीन अन्य छात्रों के साथ.
भारत के अस्सी करोड़ लोगों के सपने सोते जा रहे है.
और संविधान उन्हें जगा सकता है.

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलवा कर!
विचार, विश्वास और धर्म पालन करने की आजादी देकर.

सभी को समान स्तर और अवसर देकर.

आपसी भाई चारा बढ़ाकर, राष्ट्र की एकता बना कर, भारत एक स्वतंत्र, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष देश बना रहेगा... क्यों, लगता है आप लोगों को ऐसा?

"संविधान" विषय पर हो रही एक कक्षा में...
संविधान में हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं...
गरीबी और अन्याय में घुट-घुट कर मरने का!

और कुछ निर्देशित सिद्धान्त बताये गये हैं राज्य की नीति के लिये...

जो आज तक पूरे नहीं हो पाये.

मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये अदालत में जाया जा सकता है.

जो कुछ रहा-सहा हो उसे भी लुटाने के लिये.

लेकिन निर्देशित सिद्धान्तों के लिए अदालतों में नहीं जाया जा सकता.
फिर उन से क्या लाभ हो सकता है, मैडम ?

संविधान के अनुसार इन सिद्धान्तों के लिए क़ानून और कार्यक्रम बनाना सरकार का कर्त्तव्य है.
और सरकार के कर्त्तव्यों का मूल्यांकन पांच वर्ष बाद ही हो सकता है ?

नहीं, नहीं. ऐसी बात नहीं. संसद में यह बातें उठाई जा सकती हैं. लोग बाहर संगठित होकर प्रदर्शन भी करते हैं. जन संचार के माध्यमों से अपनी बात कहते हैं.
निरक्षरता, निर्धनता और बिखरे-बिखरे अलग-अलग लोग. यह तो मैंने गांवों में भी देखा है.

आप लोग निर्बल के साथी बनकर उन्हें सबल बनाने का अवसर दीजिये.
हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो अपना कल ही ठीक-ठीक नहीं दिखाई देता.

संविधान के बारे में, क़ानूनों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में और उनके कर्त्तव्यों के बारे में बताइये. उनसे चर्चा कीजिये.
मैडम, आप चलिये न एक दिन गांव में.

जरूर चलेंगे एक दिन. संविधान पर चर्चा वहीं करेंगे, आगे.
बहुत-बहुत धन्यवाद, मैडम.

एक गांव में, पेड़ के तले कुछ लोग बैठे हैं. प्रो. राधा, प्रधान जी के साथ ऊंचाई पर बैठी हैं.
संविधान सबको अपनी बात कहने का अधिकार देता है. सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है.

संविधान भेदभाव के विरूद्ध और समानता के पक्ष में है.
पर बेटी, धर्म और जाति के नाम पर लोग मारे जाते हैं.

औरतों पर जुलम की तो कमी ही ना है.

औरतों और बच्चों के लिये विशेष रूप से क़ानून बनाये गये हैं. अब तो काम नौकरी में आरक्षण की योजना भी है.

और बेटी, पंचायतों में भी दो महिला पंच ज़रूरी हैं.
कागज़ पर तो "समान काम के लिये समान वेतन" की बात भी है. पर होता नहीं दिखता ऐसा.

बड़ा गुस्सा भरा है हमारे गांव की बेटी में.
कुछ क़ानून ठीक लागू हो रहे हैं. कुछ के लिए और संगठित होना जरूरी है.

यह बात ठीक कही बहन तुमने. महीने में एक-दो बार आ जाओ तो गांव की औरतें जागेंगी.

उस काम के लिए तो दिव्या जैसी संतान को ही आगे आना होगा. हर गांव में कम से कम एक जागरूक कार्यकर्ता चाहिए.

प्रो. शास्त्री...
संविधान के सपने पूरे करने के लिए तीन साधन हैं: विधान मंडल, प्रशासन तथा न्यायपालिका.
क़ानून संसद बनाती है, प्रशासन लागू करता है, और न्यायपालिका संविधान और कानूनों का सही अर्थ बताती है.

सर, क़ानून बनते तो हैं पर न्यायपूर्ण रूप से लागू नहीं किये जाते.
हां. खासकर महिलाओं और बच्चों के क़ानूनों के बारे में दशा बहुत ही दर्दनाक है.

सर, फिर तो प्रशासन और न्यायपालिका पर संगठित दबाव डालना चाहिए.
पर संगठित दबाव का अर्थ खाली नारे लगाना तो नहीं?

इसके लिये अन्याय के तथ्य जमा करें. क़ानून की कमज़ोरियों को बतायें.

सर, प्रशासन सब कुछ नहीं बताता. हर बात को गुप्त रख कर आम आदमी से दूर रखता है.

आम आदमी की नज़र में क़ानून का अर्थ पुलिस है.. सामाजिक क़ानूनों पर पुलिस ने उचित ध्यान नहीं दिया.

प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है.

सबसे असरदार तरीका समाज में जनता की आवाज़ है. निगरानी और आक्रोश दोनों ही काम करते हैं.

सर, दोनों ही हालात में महिलाओं पर तो अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं.

जागरूक नागरिक ही संविधान के सपनों का संरक्षक बन सकता है.

सर, हमारे देश में नागरिक का महत्व तो चुनाव के आस-पास ही होता है.

चुनाव भी तो संविधान के सपने साकार करने के लिये एक हथियार है.
चुनाव में पैसा, धर्म, जाति, भाषा इत्यादि विकास के सवालों को छोटा बना देते हैं.
जो वर्ग सत्ता में है और जो वर्ग सत्ता में आना चाहता है, सभी ऐसा करते हैं.
चुनाव संबंधी क़ानून भी तो बदले जाने चाहिए.
सर, यह तीन साल का कोर्स नहीं, जीवनभर के लिये संग्राम है.
संदीप
विकास विवश होकर नहीं, विद्या के माध्यम से मिलेगा. बाबा साहेब अम्बेदकर ने कहा था:
शिक्षा ज्ञान दे, संगठित करे तथा आवाज़ उठाने की शक्ति दे.
संविधान हमारा समर्थक है.
लेखक : सचिन / डैवलप्मेंट कम्युनिकेशन ग्रुप की प्रस्तुति / डायमण्ड कॉमिक्स द्वारा मुद्रित.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **(संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य)** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय**, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता**, प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए –

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं।**